न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 20 / 2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. रामसिंह पिता बंशीलाल जी, जाति बंजारा, निवासी लक्ष्मीपुरा, अरडकिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मथरीबाई पत्नी बंशीलाल जी, जाति बंजारा, निवासी लक्ष्मीपुरा, अरडकिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रताबी पुत्री घासी पत्नी नन्दसिंह जी, जाति दरोगा, निवासी अरडकिया हाल निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. कमला पुत्री घासी पत्नी भंवरसिंह जी, जाति दरोगा, निवासी अरडकिया हाल निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. कजोडी पत्नी रामा जी, जाति बंजारा, निवासी ओडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा0 का0
अ0–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
20–02–2017 एवं 16–03–2018
प्रकरण संख्या 189/13 एवं 37/18

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1. श्री पी. सी. खटीक अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित अभिभाषक रे.सं. 1, 2
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

———::———

निर्णय **दिनांक 02–01–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 तथा गंगा द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्थाई का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 96 से 104 कुल किता 9 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम अरडकिया में स्थित है, जो वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा घीसा पिता गुला जी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित थी। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित आराजी नंबर 403 रकबा 12 बिस्वा

भूमि पर मकान स्थित है, जिसमें घीसा जी का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष गुला जी के पुत्र घीसा जी के 7 वारिस हुए जिनमें पत्नी मेहताब बाई, तीन पुत्र गणेश, अमरा व किशन हुए तथा तीन पुत्रियां प्रताबी, गंगा व कमला हुई। मेहबाई बाई फोत हो चुकी है तथा गणेश व किशन भी लाऔलाद फोत हो गये तथा अमरा का पुत्र देवीलाल होकर प्रतिवादी संख्या 1 है, जबकि घीसा जी की पुत्रियां वादीगण हैं। घीसा जी की मृत्यु संवत् 2042 में हो चुकी थी, जिसका नामान्तरकरण उसकी विधवा मेहताब बाई व तीनों पुत्र गणेश, अमरा व किशन के नाम पटवारी हल्का की मिली भगत से नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 02–05–1986 अपने नाम खुलवा लिया, जबकि उक्त भूमियों पर वादीगण का भी संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य है। मेहताब बाई की मृत्यु दिनांक 10–09–2004 हो गयी, जिसके पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 644 किशना ने अपने व अपने भतीजे देवीलाल के नाम स्वीकृत करवा लिया तथा भूमियों प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित करवा ली क्योंकि गणेश की मृत्यु मेहताब बाई के पूर्व ही हो चुकी थी, जबकि घीसा जी की मृत्यु के समय वादग्रस्त भूमियों में वादीगण प्रत्येक का 1/7 हिस्सा था तथा वर्तमान में वादीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा बनता है, क्योंकि किशन लाऔलाद फोत हो चुका है। किशना ने दिनांक 14–10–2010 को आराजी नंबर 102 का सम्पूर्ण व आराजी नंबर 100 की 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दी तथा आराजी नंबर 103 रकबा 10 बिस्वा एवं आराजी नंबर 100 का शेष रकबा 8 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर दिया तथा बाद में आराजी नंबा 104 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भी किशना व प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 को तथा कुछ भाग जीवनलाल पिता चेनराम यादव को विक्रय कर दिया, जिसे जीवनलाल ने बाद में गोरू पिता भावसिंह बंजारा को विक्रय कर दिया तथा बाद में गोरू ने भी अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को बिना वादीगण की सहमति के विक्रय कर दिया। इस प्रकार उक्त सारे विक्रय पत्र वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य हैं। वादीगण प्रत्येक अपने 1/4 – 1/4 हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। अतएवं भूमि के 1/4 – 1/4 हिस्से की घोषणा की जाकर विभाजन किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में उक्त वाद संख्या 122/2011 अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16–11–2011 को दर्ज हुआ। दिनांक 02–03–2012 को प्रकरण में

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए, परन्तु बाद में दिनांक 29–05–2012 को प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 16–07–2012 को वादीगण का वाद डिक्री कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की। दिनांक 31–08–2012 को पालना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने से पेशी दिनांक 21–09–2012 की दी गयी, किन्तु 21–09–2012 के स्थान पर दिनांक 04–09–2012 को आदेशिका अनुसार वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि तहसील से पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसमें आज ही एकतरफा बहस सुनी जावे। वकील वादी की बहस सुनी गयी। प्राप्त विभाजन योजना पर सहमति व्यक्त की गयी। विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 04–09–2012 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी।

उक्त वाद संख्या 122/2011 में अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04–08–2012 को प्रकरण संख्या 57/2012 के रूप में दर्ज होकर दिनांक 03–05–2013 की आदेशिका अनुसार उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी ने बताया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका हो है, जिसे मूलवाद में पेश करना चाहते हैं। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. स्वीकार किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतएवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः दर्ज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सहमति के आधार पर दर्ज कर पुनः वाद संख्या 122/2011 के नये नंबर 189/2013 दिनांक 10–07–2013 को दर्ज किये गये। प्रकरण में दिनांक 19–07–2013 की आदेशिका अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को आपसी राजीनामा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकालत पत्र पेश किया तथा दोतरफा का प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर चाहा। उक्त आवेदन दिनांक 26–03–2015 को स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही को

अपास्त किया गया। प्रकरण में दिनांक 20–02–2017 की आदेशिका अनुसार पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होकर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व वाद सख्या 122/2011, नवीन वाद संख्या 189/2013 में राजीनामें अनुसार दिनांक 20–02–2017 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

''वादिया संख्या 2 की मृत्यु होने से कोई कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसके विरूद्ध कार्यवाही अबेट हो जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि वादिया के भाई द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का अपने हिस्से से अधिक (बहनों का हक) का अन्तरण किया गया। विधि के प्रावधानों के अनुरूप कोई भी खातेदार अपने हिस्से से अधिक की भूमि का अन्तरण नहीं कर सकता है। जिससे वादिया के भाईयों द्वारा जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है, उसमें उसके हिस्से तक का विक्रय ही विधि अनुरूप वैध है। ऐसी स्थिति में भाईयों के हिस्से तक अन्तरण स्वीकार करते हुए बहनों द्वारा अपना हक अन्तरित नहीं किया गया है। वादिया संख्या 1 से 3 के हिस्से का पंजीयन वर्तमान डी.एल.सी. अनुसार राशि जमा कराया जाना उचित प्रतीत होता है।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 20–02–2017 के सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से आदेश 47 नियम 1 जा.दी. का रिव्यू आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 189/2013 में दिनांक 20–02–2017 को राजीनामे अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया है तथा निर्णय में सहवन से त्रुटि रह गयी है। अतएवं नामान्तरकरण 935 व 1170 को विलोपित करते हुए पूर्व के अंकन अर्थात किशना पिता घीसा, देवीलाल पिता अमरा द्वारा दिनांक 20–08–2010 को रामसिंह पिता बंशीलाल के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, किशना पिता घीसा, देवीलाल पिता अमरा द्वारा दिनांक 07–09–2010 को रामसिंह पिता बंशीलाल के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र, किशना पिता घीसा, देवीलाल पिता अमरा द्वारा दिनांक 16–02–2009 को श्रीमती मथरी पत्नी बंशीलाल के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र, किशना पिता घीसा, देवीलाल पिता अमरा द्वारा दिनांक 10–04–2008 को मथरी पत्नी बंशीलाल के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र एवं गोरू पिता भावसिंह द्वारा दिनांक 18–11–2008 को श्रीमती कजोड़ी पिता

रामा के पक्ष में किया गया है जिसके अनुसार नामान्तरकरण पुनः खोले जाने का निर्णय व डिक्री जारी की जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में उक्त आवेदन प्रस्तुत होने पर दिनांक 16–03–2018 को प्रकरण संख्या 37/2018 के रूप में दर्ज किया जाकर उसी दिनांक को उक्त आवेदन के साथ मूलवाद के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 189/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2017 एवं रिव्यू प्रकरण संख्या 37/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16–03–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–04–2018 को पेश की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 पहले तो स्वयं उपस्थित हुए, किन्तु बाद में अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया है, परन्तु उसमें पूर्व के नामान्तरकरणों को अपास्त करने का आदेश नहीं दिया है, जिससे पूर्व के नामान्तरकरणों का इन्द्राज बदस्तूर रहा, जिसे रेकार्ड पर हुई प्रारम्भिक त्रुटि के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुधारा जाना वांछनीय था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण व प्रार्थीगण को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा रेकार्ड पर कोई त्रुटि पूर्व के निर्णय दिनांक 20–02–2017 में रही है अथवा नहीं इस पर कोई विवेचन नहीं किया है तथा सिर्फ यह अंकित कर दिया है कि ''मूलवाद का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं आपसी राजीनामें के आधार पर विधि संगत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना जाहिर नहीं आया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रार्थी मूलवाद के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह अपीलीय न्यायालय द्वारा राहत प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।'' जबकि अधिनस्थ न्यायालय को आदेश 47 नियम 1 जा.दी. के आवेदन के सन्दर्भ में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करना चाहिए था। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटि पूर्ण है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2017 तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 16–03–2018 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में रिव्यू प्रार्थना पत्र के आवेदन के सन्दर्भ में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें एवं तद्नुसार वांछनीय होने पर मूल प्रकरण संख्या 189/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2017 में उपचारात्मक कार्यवाही वांछनीय होने पर नियमानुसार करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05–03–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** .....

कुशाल पिता तलोक गाडरी, निवासी कोटडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **भैरूलाल पिता उदयराम गाडरी, निवासी कोटडी, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं॰.....**26 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....30**.....माह.....**10**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अक्षय पालीवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री एस.के. मेहता**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील की अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा रेस्पोन्डेन्ट की प्रत्यापत्ति विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।